

कार्यालय प्रधानाचार्य, सावित्री बाई फूले राजकीय महिला पालीटेक्निक,
देहरादून रोड, कुम्हार हेडा, सहारनपुर-247001 E Mail. ID- sbfggpsre@gmail.com

कार्यस्थल पर पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुपालन में कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न एवं मानसिक यातनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु आन्तरिक परिवाद समिति-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम	पद		
1	डॉ दिलजिन्दर कौर,	प्रधानाचार्या	अध्यक्ष	8630921831	kaur.diljindar21@gmail.com
2	डॉ कुलदीप यादव,	व्याख्याता	सदस्य	9411121624	drkuldeepyadav03@gmail.com
3	श्रीमती नीलम चौधरी	व्याख्याता	सदस्य	7906502455	k.neelam90@gmail.com
4	सुश्री पारुल सहरावत	व्याख्याता	सदस्य	8057806126	parulsaharawat05@gmail.com

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)

अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्या के 14)

[22 अक्टूबर, 2013]

महिलाओं के गार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा प्रतिरोपण और उससे संबंधित गा उद्देश्य आनुयायिक विधयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के मंत्रिमण्डल 14 और मनुच्छेद 15 के अधीन भयता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन ग्राम और गाँवों में जीवन व्यतीत करने के विस्तीर्ण गहिना के खून अधिकारों और किसी वृत्ति का अव्याधि नहीं गा कोई उपजीविका, व्यापार या बागवार नहीं के अधिकार वा, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से गुल्म सुरक्षित बाचवना का अधिकार भी ही, उन्नत्यन होता है:

और, लैंगिक उत्पीड़न से गंदरणा तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति मानवी गवार के विमेंद्रों को दुर्ग नहीं संबंधी अभिगमन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिगमयों और लिखतों द्वारा सर्वत्रापी गान्धिताप्रस्ता ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुगमन किया गया है;

और, गार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से गहिनाओं के गंदरण के विमेंद्र करने के लिए उपत अभिगमन को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना अपीर्चित है:

भारत गणराज्य के चौथवे वर्ष में संसद द्वारा निम्ननिषित रूप में यह अधिनियमित हो —

आधार

प्रारंभिक

1. संधिष्ठ नाम, विस्तार और शारंग—(1) इस अधिनियम का संधिष्ठ नाम महिलाओं वा गार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उम तारीख से प्रवृत्त होगा, जो बैलीय सरकार, राजपत्र में अधिगृहनना द्वारा, निश्चित करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक निः संदर्भ से अन्यथा असेहित न हो,—

(अ) “व्याधित महिला” से निम्ननिषित अभिप्रेत है,—

(i) जिसी कार्यस्थल में संवेद्ध गे, किसी भी आपु की ऐसी महिला, जो नियोजित है या नहीं, जो प्रत्याधी द्वारा नींगिक उत्पीड़न के विमेंद्र के कारने वा अभिगमन करती है;

(ii) जिसी निवारण स्थान या गृह के संवेद्ध में, किसी भी आपु की ऐसी महिला, जो ऐसे जिसी निवारण स्थान या गृह में नियोजित है;

(ब) “गनुभित गरजार” से निम्ननिषित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) बैलीय सरकार या संघ राज्यों के प्रशासन द्वारा स्थापित, जोके स्वाभित्वाधीन नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागत वित्ताधीन है, बैलीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उनके स्वाभित्वाधीन नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागत वित्ताधीन है, राज्य सरकार,

(i) ऐरा कोई शिखाग, तंगठग, उपलग, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाका या गुनिट, जो गमुवित सरफार या स्वानीय प्राधिकरण या विभीती गर्वकारी गम्भीरी या निगम या महवारी सोशाइटी द्वारा आमित, उपलग, स्थानीयवाधीन, नियंत्रणवाधीन या पूर्णतः या सारातः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उपलग्य कराई गई निधियों द्वारा विचारोपित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या निम्नी प्राइवेट उद्यम, उपकरण, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोशाइटी, स्थान, और गर्वकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिजिक, वृत्तिग, व्यावसायिक, वैकल्पिक, मर्यादित, और द्विषिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय विषयकालान्वय करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रम, वित्तज्ञ या सेवा भी है;

(iii) अमानुषन या परिचर्का गृह;

(iv) प्रधिकार, खेलगृह या उनसे संबंधित अन्य विद्यालयार्दों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलगृह संस्थान, स्टेडियम, खेलगृह प्रदेश या उत्तिष्ठाप्त या बीड़ा का स्थान, जहाँ आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रकार के दैशग कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी धारा फैले जो नियोजन द्वारा उपलब्ध करता गया परिवर्तन भी है;

(vi) कोई नियाम स्थान या कोई गृह,

(vii) निम्नी कार्यालय के संबंध में, आमितिह सेक्टर, गे ऐरा कोई उद्यम अभियोग है, जो अनियोजित कार्यकारों के स्वामित्वाधीन है और विभीती प्रकार के सात के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहाँ उद्यम, कार्यकारों द्वारा कार्यकारों की मंज्ज्ञा दास से अन्तर्गत है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का नियारण—(1) विभीती प्रदिला का विभीती कार्यालय पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्ननिषित परिस्थितियां, यदि के लैंगिक उत्पीड़न हैं; विभीती कार्य या आचरण के संबंध में होती है या विद्यमान है या उत्तर संबंध है, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ जारेगी:

(i) उसके नियोजन में अधिगार्दी व्यवहार का विवरित या सुम्पद वर्णन देना; या

(ii) उनके नियोजन में अहितकर व्यवहार वी विवरित या सुम्पद धारकी देना; या

(iii) उनके वर्तमान या भावी नियोजन की प्राप्तिक गे गोरे में विवरित या सुम्पद धारकी देना; या

(iv) उनके वर्तमान या भावी नियोजन की प्राप्तिक गे गोरे में विवरित या सुम्पद धारकी देना; या

करना, या

(v) उनके स्वास्थ्य या शुरक्षा को प्राप्तिक गरने की मंगायना वाला अंपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) निम्नी कार्यालय का गठन: नियार्दन, नियित आदेश द्वारा, “आतिक्रिय परिवाद समिति” द्वारा एक एक समिति का गठन करेगा।

परंतु जहाँ कार्यालय के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट, भिन्न-भिन्न स्थानों या घंड या उपखंड स्तर पर अधिकृत है, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित दिए जाने वाले निम्ननिषित सदस्यों द्वारा गठित होगी।

(a) एक प्रीठालीन अधिकारी, जो कार्यालयों में से कार्यालय पर उपर्युक्त स्तर पर नियोजित गठिता होगी।

परंतु विभीती उपर्युक्त स्तर की सहिता कार्यालय के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, प्रीठालीन अधिकारी, उपर्युक्त (1) नियित कार्यालय के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित दिया जाएगा।

परंतु यह और ये कार्यालय के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की सहिता कार्यालय नहीं होने की दशा में, प्रीठालीन अधिकारी, उपर्युक्त नियोजक या अन्य विभाग या तंगठन के विभीती अन्य कार्यालय से नामनिर्देशित दिया जाएगा।

(b) कार्यालयों में से दो से अन्यत ऐसे गठन, जो सहिताओं की समझाओं में प्रति अधिगार्दी रूप से प्रतिवक्त हैं या जिनके पास सामाजिक गतिशीलता में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं वे; प्रति प्रतिशङ्क है या नहीं; कोई व्यक्ति, जो नीतिक उत्पीड़न से संबंधित मुहों से सुपरिचित है;

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(ज) आंतरिक समिति का नीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक की दोस्ती अच्छि के; सिए पाँच धारणा करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिविष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त विए गए सदस्य को आंतरिक समिति की बाईचाहिए बारने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी दीखें था भले, जो विहित विए जाएं, ताकि विए जाएं।

(5) जहां आंतरिक समिति का नीठासीन अधिकारी या कोई गदस्य,—

(अ) धारा 16 वे; उपवंशों का उल्लंघन करता है; या

(छ) विनी अपनाध के सिए नियुक्त द्वारा दाखिला हुआ है या उसके लिए तत्समय प्रवृत्त विली विहि के प्रधीन दिया आदाध की कोई जांच नहित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक बाईचाहिए में दोस्ती गाया गया है या उसके विशद्ध कोई अनुशासनिक बाईचाहिए लवित है; या

(घ) आनी हैमियत या इस प्रथा दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पर पर बने रहना जीव हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

यहां, यथाभिति, ऐसे नीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सूजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिय दिविति को इस धारा के उपवंशों के अनुसार नामनिर्देशन द्वारा भारा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिकूचना—गांवित मारका, इस अधिनियम वे; अधीन शक्तिगों का प्रयोग करने या यूनियन नियंत्रण या नियंत्रण करने के लिए विना जिला मञ्चिन्द्रेट या आप जिला मञ्चिन्द्रेट या कलवटी या उप चलकटर वाले प्रांगंक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिकूचित कर सकती।

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, शक्तिगों की गठित जिले में, ऐसे संगमों में जहां द्वारा यो काम पर्याप्त होने वे; कारण अंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यह परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, यहां नीतिक उत्पीड़न के परिवाद दृष्टि करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति, जाल्युगा और नहर्मील में और अहर्वी भेज में वार्ड पर नगरपालिका में परिवाद दृष्टि करने के लिए और माल दिन वी प्रवाहि के भीतर उसको संवेदित स्थानीय परिवाद समिति वाले भेजने के लिए एक बोडल अधिकारी को नामित हित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विवरण जिले के उन संस्कृत पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवापूर्ति और अन्य नियंत्रण तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित जिला जाने वाले नियमितित सदस्यों से गिलकर बनेगी, अर्थात्—

(ग) प्रश्नावधि, दो गांवाजिक कार्यों के क्षेत्र में प्रक्षात और महिलाओं वे; समाजस्थानों वे; प्रति प्रतिवद्ध परिवारों में से नामनिर्देश की जाएगी।

(घ) एक भट्टाचार्य, जो जिले में व्यापक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में गवर्नर यहिलाओं में से नामनिर्देश की जाएगी,

(ग) दो गढ़वाल, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं वे; प्रति प्रतिवद्ध एक गैर-सरकारी संगठनों या संगमों वे से या ऐसा व्यक्ति, जो नीतिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुहों से युगमिति हो जो विनियोजित विए जाएं, नामनिर्देश लिए जाएं।

परंतु कम से गया एक नामनिर्देशिती के पास, अधिकारी रूप में विहि की पृष्ठभूमि या विहिग जान होना। जांकेगा

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य विकास वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा गमय-नगय पर अधिकूचित अल्पसंख्यक समुदाय वी परिवार होगी।

(घ) जिले में गांवाजिक गल्लाण या महिला और यात्र विकास वे संवेदित पर्यद्ध अधिकारी, गदस्य पाठेन होगा।

(2) स्थानीय गमिति का अध्यक्ष और प्रतोक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीव्र तर्फ में अनियंत्रित होनी अच्छि है; निए यह धारण गयेगा, जो जिला अधिकारी हाला नियन्त्रित ही जाए।

(3) अहां स्थानीय परिवाद समिति या अध्यक्ष या गोई सदस्य,—

(a) धारा 16 के उपचर्यों का उल्लंघन करता है; या

(b) किसी आगामी वेसियों द्वारा दृष्टिकोण ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्त्वापय प्रबृत्ति नियंत्रित होनी चाहिए अधीन नियंत्रित आगामी भी गोई जांच नवित है; या

(c) किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध गोई अनुशासनिक कार्यवाही नवित हो; या

(d) अपनी हैमियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है; जिससे उसका अपने पट पर बने रहना सोकहित हो या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

यहां, गथानियति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति ने हटा दिया जाएगा और इस प्रकार यूजित नियंत्रित या नियंत्रित आगामी वेसियों द्वारा अनुशासन नए नामितेश्वर द्वारा जाएगा।

(4) स्थानीय गमिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के छंड (छ) और छंड (प) के अधीन नामितिष्ठ गठियों में विनायक विनियोग के अनुचान न्यायी गमिति की कार्यवाहियों करने के लिए द्वारा दीमों या भत्तों के सिए, जो विहित विनायक जांच, हकारार होंगे।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) बैंटीय गरकार, गंगाद द्वारा इस नियंत्रित विहित द्वारा दिए गए सम्मान विनियोग के अनुचान न्याय गरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में नियंत्रित कीमों या भत्तों के सदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनगणियों के, जो बैंटीय लकड़कार श्रीक समझे, अनुदान दे सकेंगी।

(2) न्याय गरकार, एक अधिकारण वीर स्थापना कर गेनी और उस अधिकारण को उपधारा (1) के अधीन निए यह अनुदान अतिरिक्त कर गेनी।

(3) अधिकारण, जिला अधिकारी वो ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में नियंत्रित कीमों या भत्तों के गंदाय के लिए अपेक्षित हों, सदाय देगा।

(4) उपधारा (2) में नियंत्रित अधिकारण के लेखाओं को ऐसी दिनि गे रखा और संपरीक्षित विना जाएगा, जो न्याय के अनुचान विनायक को जाए, और अधिकारण ने लेखाओं को अधिकारा में रखने वाला अवधित, गेनी नामित ये छंड, जो विहित को जाए, न्याय गरकार ने देखाओं की तापीकी प्रति, उस पर संपरीक्षक की विनायक के साथ प्राप्तुत देगा।

अध्याय 4

परिवाद-

9. लैंगिक उत्तीर्णन का परिवाद—(1) गोई अधिकारित सहित, गार्हस्थल पर विनियोग उत्तीर्णन वर परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की व्रचिति के भीतर और धूंखलावरुद्ध परिवारों की दशा में अतिग घटना की तारीख से तीन मास की अवधित के भीतर, नियंत्रित में, आनंदित नमिति को, यदि इस प्रकार गरित की गई है या यदि इस प्रकार गरित नहीं की गई है तो स्थानीय नमिति को जाए, मरणी;

पांत् यहां ऐसा परिवाद, नियंत्रित में नहीं दिया जा सकता है वहां, यथानियति, आतंकित समिति का दीक्षाता अधिकारी का गोई गदाय, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या गोई सदस्य, पहिला शो सिखित में परिवाद करने के लिए गमी युनिटयुन गढ़ायें। प्रदान करेगा;

पांत् यह और कि, गथानियति, आंतरिक गमिति या स्थानीय गमिति, सेषवद्ध किए जाने वाले कारणों ने तीन मास में अनियंत्रित की गार्ह-सीमा ने विस्तारित कर सकेगी, यदि उगका यह अपाधान हो जाता है या परिविहितियों द्वारा थी, जिससे पहिला को उपन अवधित के भीतर परिवाद दाइल करने में विवादित किया जा।

(2) यहां अधिकारित नियंत्रित, आगामी अवसर्ता या गृत्यु में गार्हण या अल्पाय परिवाद दाइले में अन्यान्य वहां उगका विधिन वालिय या ऐसा अन्य अवधित जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. गुलह—(1) यथानियति, आंतरिक गमिति या स्थानीय गमिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने में सूची और व्यापित गहिला के अनुसीध पर, सुलह के पाइयने से उसके और प्रत्यार्थी के वीज मामले से निपटाने के उपाय कर सकेगा।

पांत् गोई ग्रनी गार्हस्थीता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) यहां उपधारा (1) के अधीन गोई गार्हस्थीता हो गया है, वहां, यथानियति, आंतरिक गमिति या स्थानीय नियंत्रित इस प्रकार विनायक विनायक की जाए, जाने के लिए देखेगी।